

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 2971/11-सी-FP/UP/Approach/48634/2020, लखनऊ, दिनांक: जून 17, 2021

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद बुलन्दशहर में दिल्ली-कानपुर मार्ग 91 (सिकन्द्राबाद-बुलन्दशहर मार्ग कि०मी० 05 चैनेज 4.80) की बॉयी पटरी के किनारे ग्राम सिकन्द्राबाद देहात तहसील सिकन्द्राबाद के खसरा संख्या 1233 में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.053692 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। प्रस्ताव सं०- FP/UP/Approach/48634/2020

संदर्भ- भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०६/८३/२०२१/एफ०सी०/१३६५, दि०-२६.०३.२०२१

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ ने अपने पत्रांक-4280/14-1 दिनांक 04.06.2021 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित एक प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संजय श्रीवास्तव)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 2971/11-सी-FP/UP/Approach/48634/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
- 3- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बुलन्दशहर।
- 4- प्रादेशिक प्रबन्धक(रिटेल) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, आबू का मकबरा, केसरगंज मेरठ-250002(उ०प्र०)।

(संजय श्रीवास्तव)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।